भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1326
14.12.2022 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड निधि में वृद्धि करना

1326. श्री विजय बघेलः
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारेः
श्री अरुण सावः
श्री रंजीत सिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकरः
श्री सुनील कुमार सिंहः

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों को विधायकों और सांसदों की मदों के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार/राशि-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विधायक मद के अंतर्गत आबंटित की जा रही धनराशि सांसदों की मद के अंतर्गत आबंटित की जा रही धनराशि के बराबर है या उससे अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का देश के विभिन्न राज्यों में विधायक मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि को ध्यान में रखते हुए पांच से आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से मिलकर बने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए सांसदों की मद के लिए आवंटित धनराशि को 5 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बढ़ाने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत, प्रत्येक माननीय संसद सदस्य 2.5 करोड़ रू० की दो समान किस्तों में जारी की गई 5 करोड़ रू० की वार्षिक धनराशि के लिए पात्र है। विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएलैड्स) में वार्षिक पात्रता विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हो सकती है और संबंधित राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है।

(ग) से (ङ): एमपीलैड योजना के अंतर्गत निधियों की पात्रता के संशोधन के लिए सुझावों सहित हितधारकों से नए सुझाव निरंतर आधार पर सरकार द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उचित प्रक्रिया के अनुसार इन सुझावों की जाँच की जाती है।

******